केवल ई – मेल द्वारा प्रेषित

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), ऑडिट भवन,
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

प्रशिक्षण एवं परीक्षा अनुभाग

संख्या: प्रशि.एवं परीक्षा/4-6/डी.ई.ए./फरवरी/2025-26/303-312 **दिनांक: 06.08.2025**

परिपत्र सं - 08

विषय: लेखापरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा, अगस्त 2025।

लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा अगस्त 2025 का आयोजन दिनांक 21, एवं 22 अगस्त को किया जाएगा। परीक्षा का विस्तृत ब्योरा मुख्यालय कार्यालय द्वारा शीघ्र ही घोषित किया जाएगा।

पात्रता शर्तें :-

1. वे सभी, सीधी भर्ती वाले लेखापरीक्षक, जिन्होंने दिनांक 01.08.2025 को एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है।
2. वे सभी सीधी भर्ती वाले लेखापरीक्षक, जिनकी सेवाएं दिनांक 01.08.2025 को एक वर्ष की अवधि से दो माह तक कम है, यदि वे चाहें तो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दो माह की छूट हेतु अलग से आवेदन करना होगा।
3. वे सभी लेखापरीक्षक जो पिछले अवसरों में लेखापरीक्षकों की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकें हैं।
4. वे सभी नए पदोन्नत लेखापरीक्षक, जिन्होंने दिनांक 01.08.2025 को 90 दिनों की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है।
5. वे पदानवत लिपिक जिन्होंने लेखापरीक्षक पद से पदानवति के दो वर्ष के अन्दर 03 अवसरों का लाभ नहीं उठाया है।
6. वे सभी स्नातक बहु कार्य कर्मचारी या स्नातक लिपिक जिन्होंने दिनांक 01.08.2025 को तीन वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर ली है।
7. स्नातक लिपिक/बहु कार्य कर्मचारी जिनकी तीन वर्ष की निरंतर सेवा सेवा में 02 माह की कमी है, वह भी दो माह तक की छूट प्राप्ति हेतु अनुरोध के साथ आवेदन कर सकते हैं।
8. वे सभी स्नातक वर्ग "ग" कर्मचारी जो 01.08.2025 को सतत 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा उत्तीर्ण करने के अवसरों कि संख्या छह है और अवसरों कि संख्या कि गिनती केन्द्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करने की शुरुवात (01.02.2025) से नए सिरे से शुरू की गई है। पिछली छूट मान्य रहेगी।

उपरोक्त परीक्षा में उपस्थित होने में विफलता या किसी भी अन्य कारण से परीक्षा में अनुपस्थित रहना एम.एस.ओ.(प्रशासन) खंड। के अध्याय IX के पैरा 9.4.2 में निहित निर्देशों के अनुसार प्राप्त अवसरों के रूप में लिया जायगा। निर्धारित समय/अवसरों की संख्या में परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में, सीधी भर्ती मामले में सेवा से बर्खास्तगी और पदोन्नत लेखापरीक्षकों के मामले में क्लर्क के ग्रेड में वापसी शामिल होगी।

विभागीय परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दो अतिरिक्त अवसर देने पर उन अभ्यर्थियों के लिए केवल योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है, जिन्होंने सभी छह अवसर का उपयोग कर लिया है, लेकिन प्राक्रतिक आपदा, बाध्यकारी पारिवारिक परिस्थियों, बीमारी जैसे वास्तविक कारणों से एक या दो अवसरों का लाभ नहीं उठा सके। स्वयं और परिवार तथा ऐसी कोई भी अन्य परिस्थिति जिसे विभाग प्रमुख द्वारा वास्तविक माना जाए। इन अवसरों को छह अवसरों की सीमा में नहीं गिना जाएगा।

Sent only By E-Mail

Office of the Director General of Audit (Central Expenditure),

Audit Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

सत्यमेव जयते

No. Trg. & Exam/4-6/DEA/Feb/2025-26/303-312 **Dated: 06.08.2025**

Circular No. -08

Sub:- Departmental Examination for Auditors, August 2025.

The departmental examination, August 2025 for Auditors will be organized on 21st and 22nd August 2025. The details of the examination will be intimated by the Headquarters in due course.

ELIGIBILITY CRITERIA:-

1. Directly recruited auditors with one year of continuous service as on 01.08.2025.
2. All those directly recruited auditors whose service is less than one year as on 01.08.2025, can apply for this examination but they will have to apply separately for relaxation of up to two months.
3. All those auditors who could not pass the departmental examination for Auditors in previous occasions.
4. Clerks promoted as auditor on seniority quota and completed 90 days of continuous service as auditor as on 01.08.2025.
5. Those demoted clerks who have not availed 03 chance with in two years of their demotion from the post of Auditors.
6. Graduate clerks/ graduate MTS, with three years of continuous service as on 01.08.2025
7. Graduate clerk/graduate multi-tasking staffs who are short of two months in three years of continuous service can also apply with a request for relaxation of up to two months.
8. All these graduate Group "C" employee who have completed 03 years of continuous service as on 01.08.2025, can also apply for this examination.

The number of chances to pass the examination is six and the counting of the number of chances has been started afresh from the beginning of conducting the exams centrally (01.02.2025). Previous exemption will continue to be valid.

Failure to appear in the above examination or remaining absent from the examination for whatever reasons will be taken as a chance availed as per instructions contained in Para 9.4.2 of Chapter IX of MSO (Admn), Vol I. Failure to Pass the Examinations within stipulated time/number of chances will entail discharge from service in the case of direct recruits and reversion to Clerk's grade in the case of promoted Auditors.

Grant of two additional chances for appearing at the Departmental Examination could be considered on merit alone for those candidates who have exhausted all the six chances but could not avail of one or two chances due to genuine reasons like natural calamity, compelling family circumstances, illness of self and family and any other such circumstances considered by the head of department to be genuine. These chances may not be counted against the limit of six chances.

The examination will be conducted as per scheduled:-

Paper	Subject	Max. Marks	Duration
Paper – I	Section-I: Government Accounting Section-II : Commercial Accounting	100 (50+50)	02 Hours
Paper-II	Group-I: Mandate of the CAG of India Group-II : Service Regulations	100 (50+50)	02 Hours
Paper-III	Government Audit and Basic Concepts of Income Tax and Goods and Service Tax	100	02 Hours

परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा :-

Paper	Subject	Max. Marks	Duration
Paper – I	Section-I: Government Accounting Section-II : Commercial Accounting	100 (50+50)	02 Hours
Paper-II	Group-I: Mandate of the CAG of India Group-II : Service Regulations	100 (50+50)	02 Hours
Paper-III	Government Audit and Basic Concepts of Income Tax and Goods and Service Tax	100	02 Hours
Paper-IV	Information Technology Practical • Word 2013 • Excel 2013 • Power Point 2013	100 (35+40+25)	02 Hours

परीक्षा का आयोजन पुस्तक रहित होगा एवं परीक्षा में (पेपर-IV को छोड़कर) प्रश्नों की प्रकृति **बहुविकल्पीय (MCQs)** प्रकार की होगी। इसके अतरिक्त परीक्षा की गुणवता को ध्यान में रखते हुए (To maintain quality and guard against guess work), परीक्षा में नकरात्मक अंकन (Negative Marking) की व्यवस्था भी की गई है। उक्त व्यवस्था में **प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (25%) नकारात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे**। प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पात्र कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में ही अपना आवेदन **दिनांक 07.08.2025** तक अपने कार्यालय के स्थापना अनुभाग से सत्यापन के उपरांत प्रशिक्षण एवं परीक्षा अनुभाग में प्रस्तुत करें आवेदन ईमेल के माध्यम से trainingexam.dgace@cag.gov.in पर भी प्रेषित किए जा सकते हैं।

अंतिम तिथि (07.08.2025) के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

06/08/2025

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशि. एवं परी.)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली।
2. सचिव, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली।
3. सचिव, महालेखाकार लेखापरीक्षा (दिल्ली), नई दिल्ली।
4. कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली के समस्त अनुभाग।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा (दिल्ली), नई दिल्ली।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (डाटा एनालायटिक विंग) - कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (विधि, गोपनीय एवं आर. टी. आई. प्रकोष्ठ)।
10. समस्त सूचना पटल।

Paper-IV	Information Technology Practical • Word 2013 • Excel 2013 • Power Point 2013	100 (35+40+25)	02 Hours

The examination will be conducted without book and nature of questions in the examination (Except paper -IV) will be **Multiple Choice (MCQ)** type. Apart from this, keeping in mind the quality of the examination there will be negative marking in the examination. **In above system 0.25(25%) negative marks will be given for each wrong answer.** To pass in each paper, it will be **mandatory to obtain minimum 45% marks.**

Eligible employees should submit their applications in the prescribed format to the Training & Examination Section after verification from the Establishment Section of their office by 07.08.2025. Application can also be sent through email to trainingexam.dgace@cag.gov.in.

Application received after the last date i.e. 07.08.2025, will not be accepted.

06.08.2025

Sr. Audit Officer (Trg. & Exam)

Copy to:-

1. Secretary to the DGA (CE), New Delhi.
2. Secretary to the DGA (CR), New Delhi.
3. Secretary to the PAG (Audit), Delhi, New Delhi.
4. All Groups/Sections of O/o the DGA (CE), New Delhi.
5. Sr. Audit Officers (Admn), O/o the DGA (CE), New Delhi.
6. Sr. Audit Officers (Admn), O/o the DGA (CR), New Delhi.
7. Sr. Audit Officers (Admn), O/o the Pr. AG (Audit), New Delhi.
8. Sr. Audit Officers, Data Analytical Wing- For uploading on Office website.
9. Sr. Audit Officers (Legal, Confidential and RTI Cell).
10. All Notice Board.

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली – 110 002
लेखापरीक्षकों के लिए विभागीय परीक्षा अगस्त 2025 हेतु आवेदन पत्र

1.	(क) नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी)		
	(ख) कर्मचारी कोड संख्या		
2.	(क) अनुभाग		
	(ख) कार्यालय का नाम		
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग		
4.	शैक्षणिक योग्यता		
5.	नियुक्ति की तिथि		
	(क) स्नातक बहु कार्य कर्मचारी		
	(ख) स्नातक लिपिक		
	(ग) पदोन्नत लेखापरीक्षक		
	(घ) सीधे नियुक्त लेखापरीक्षक		
	(ङ) आंकड़ा प्रविष्टि संचालक		
6.	पूर्व में उपयोग किये गए अवसर (विवरण सहित)	1.	2.
		3.	4.
		5.	6.
7.	जिन विषयों में छूट पाई हो	(क)	
		(ख)	
8.	परीक्षा का माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी)		
9.	अनुभागीय दूरभाष/मोबाइल		

हस्ताक्षर परीक्षार्थी

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सम्बंधित अनुभाग)

सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री ....की नियुक्ति दिनांक ....को निम्न वर्ग में हुई।

(क) स्नातक बहु कार्य कर्मचारी
(ख) स्नातक लिपिक/आं.प्र.सं./आशुलिपिक
(ख) पदोन्नत लेखापरीक्षक
(घ) सीधे नियुक्त लेखापरीक्षक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (स्थापना)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशि. एवं परी.)

नोट: आवेदन पत्र को स्पष्ट एवं साफ-सुन्दर ढंग से भरें एवं trainingexam.dgace@cag.gov.in पर email के माध्यम से अंतिम तिथि **07.08.2025** तक प्रेषित करें। अंतिम तिथि के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।